<u>न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड),कोर्ट नं0–15,सुलतानपुर।</u>

मूल वाद सं0–909 / 2022

विजय पाल सिंह ––––––बनाम––––––––रामसुन्दर सिंह।

<u>दिनांक–01.12.2022</u>

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पूर्व तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 13क1 पर सुना जा चुका है पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 13क1 वादीगण की ओर से अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सि0प्र0सं0 वास्ते दिये जाने अनुमति वापस लेने वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सुलह हो गयी है। वाद कारण समाप्त हो चुका है। इसलिए वादीगण अब वाद नहीं लड़ना चाहते हैं। अतः वादीगण को बिना वाद वापस लेने की अनुमति दी जाय। समर्थन में 14ग2 शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थनापत्र उपरोक्त के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी बल्कि प्रार्थनापत्र पर ही कोई आपत्ति न होने का लेख अंकित किया गया है।

वादीगण स्वंय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। न्यायालय द्वारा पूंछने पर वादीगण द्वारा कथन किया गया कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वादी के अनुसार पक्षों के मध्य सुलह हो गयी है और वाद कारण समाप्त हो चुका है। जिस कारण वादीगण अपना वाद वापस लेना चाहतें है। विधि द्वारा वादी को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह वाद के किसी भी स्तर पर अपना वाद वापस ले ले। वादी को जबरन वाद चलाने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण को प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति भी नहीं है। वादीगण बिना शर्त अपना वाद वापस लेना चाहतें है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थनापत्र 13क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 13क1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण को वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार वादीगण को वाद वापस करे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

ह0 / –
(किरन गोंड)
सिविल जज (प्रवर खण्ड),
कोर्ट नं0–15,सुलतानपुर।